सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला–अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या –68/2018

पीठासीन अधिकारीः–श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रहलाद पुत्र राधाकृष्ण जाति पारीक निवासी पारा तहसील केकडी जिला अजमेर

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर

प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–14.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेशकर निवेदन किया है कि वादी की वादग्रस्त की भूमि वाके ग्राम/कस्बा पारा तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2069–2072 के खाता स. 539 के खसरा नम्बर 2069, 2073, 2086/3950, 2087,2088/3951 रकबा क्रमशः 0.16,0.52,1.00,0.45,1.09 है. की पत्थरगढी हेतु वादी ने दावा पेश किया है। वादग्रस्त आराजीयात वादी की स्वयं की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात में पडोसी खातेदार आयेदिन दखलदांजी करते है। वादी की आराजीयात को पडोसी खातेदार हडपना चाहते है। आये दिन पडोसीयो से लडाई झगडा होता रहता है ं। वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात की पत्थरगढी करवाना चाहा है। वादी का वाद स्वीकार फरमाया जावें।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया । पत्रावली आज केम्प कोर्ट पारा में पेश हुई । वादी/प्रतिवादी उप.। पत्रावली में पेरोकार सरकार पेश हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया । उपस्थित पक्षकारान को सुना । तहसीलदार केकडी की रिपोर्ट का अवलोकन किया । रिपोर्ट अनुसार ग्राम/कस्बा पारा तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2069–2072 के खाता स. 539 के खसरा नम्बर 2069, 2073, 2086/3950, 2087,2088/3951 रकबा क्रमशः 0.16, 0.52, 1.00, 0.45, 1.09 है. प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर पडत है। एंव खातेदार श्री प्रहलाद पिता राधाकृष्ण पारीक का स्वयं का कब्जा है। पत्थरगढी किया जाना उचित है। वादग्रस्त आराजीयात वादी की स्वयं की खातेदारी की आराजी होने से वादी का प्रेमा फैसाई केस होना पाया जाता है। अतः वाद पत्र का संतुलन भी वादी के पक्ष में होना जाहिर होता है।

अतः वादी का दावा अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का वादग्रस्त की भूमि वाके ग्राम/ ***कस्बा पारा तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2069–2072 के खाता स. 539 के खसरा नम्बर 2069, 2073, 2086/3950, 2087, 2088/3951 रकबा क्रमशः 0.16, 0.52, 1.00, 0.45, 1.09 है. की पत्थरगढी हेतु वादी का दावा स्वीकार किया जाकर तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार शुल्क जमा राजकोष कर वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कर मौका रिपोर्ट (पालना) मय मौका पर्चा नजरी नक्शा के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।***

निर्णय आज दिनाक 14.5..2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी